राजस्थान सरकार

।। कार्यालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

(अपीलीय प्राधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

अपील संख्या 01 / 2017

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री बाबूराम चौहान पुत्र श्री हरदानराम चौहान निवासी बस्ता पाड़ा, रामगढ़ जिला जैसलमेर		अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

:: निर्णय :: **दिनांक : 21 फरवरी, 2017**

01. अपीलार्थी ने यह अपील इस इस आधार पर प्रस्तुत की है कि प्रत्यर्थी ने उसके आवेदन दिनांक 29 अगस्त, 2016 के द्वारा चाही गई सूचनाएं उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

02. अपीलार्थी की अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थी को इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि आप द्वारा अपीलार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में किन कारण से उसके द्वारा वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई है इसका कारण स्पष्ट करें एवं क्यों न इस अपील को स्वीकार करते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए इस अपील का निस्तारण किया जावें। अपीलार्थी को भी सूचित किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा आपको वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में आप यदि कोई तथ्य प्रस्तुत करना चाहे तो प्रस्तुत करें।

03. अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी द्वारा जरिये डाक अपीलोत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2016 को प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी न्यायिक अनुभाग से सूचना प्राप्त होने पर आवेदक को सूचना उपलब्ध करवा दी जायेगी। प्रभारी अधिकारी न्यायिक अनुभाग द्वारा सूचना आदिनांक तक उपलब्ध नहीं करायी गई है। अतः अपीलार्थी की वर्तमान अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी को निर्देश दिए जाते है कि अपीलार्थी को कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी न्यायिक अनुभाग से मंगवाकर निःशुल्क इस आदेश प्राप्ति के एक माह में अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करें।

04. अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार की जाती है।

05. मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर आज दिनांक 21 फरवरी, 2017 को निर्णय किया गया।

06. निर्णय की प्रतियां उभय पक्ष के साथ–साथ प्रभारी अधिकारी न्यायिक अनुभाग कार्यालय हाजा भी पालनार्थ प्रेषित की जावें।

(मातादीन शर्मा)
जिला कलक्टर
जैसलमेर